



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद


आ.वि.प्रा. अनु. 45/22

11/8/2022

4524/

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खसरा सं.-1069मि. राजस्व ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद के नेट क्षेत्रफल 4102.36 वर्गमी. भूमि पर मै. राजवंश इन्फ्राकोन प्रा.लि. द्वारा होटल का मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। गाजियाबाद जोनल डवलपमेन्ट प्लान-2021 जोन-1 के अनुसार खसरा सं.-1069 का भू-उपयोग 45.0 मी. चौड़े 02 (दो) महायोजना मार्ग व 24.0 मी. चौड़े जोनल मार्ग के मार्गाधिकार की भूमि को छोड़ने के उपरान्त आंशिक भाग जोनल लेवल पार्क, आंशिक भाग जोनल लेवल कामर्शियल व शेष भाग आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शित है। उक्त भू-उपयोग में गाजियाबाद महायोजना-2021 में निहित जोनिंग रेगूलेशन के प्राविधानों के अनुसार होटल क्रिया सशर्त अनुमन्य है। इस निर्माण की अनुज्ञा हेतु एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव उचित माध्यमों से आमंत्रित किये जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव देना है तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव दो प्रतियों में मुख्य नगर नियोजक, गा.वि.प्रा. के कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।


उपस्थित
गा.वि.प्रा., गाजियाबाद